

**डिक्री व मुकद्दमें इत्तदाई**  
**(आर्डर 20 रूल 6-7 जाव्ता दीवानी)**

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- श्री सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)

व मु0 उनवान :-

1. मायाराम पुत्र दुर्गा जाति नाई निवासी महुअन का पुरा तहसील राजाखेडा धौलपुर

---- बादी

बनाम

1. भूपेन्द्र पुत्र जसवंत जाति ठाकुर निवासी महुअन का पुरा तहसील राजाखेडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा

---- प्रतिवादीगण


दावा:- स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक 14.12.2019

मु0 नम्बर 101/18

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ सन्तोष कुमार गोयल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा एवं उपस्थिति श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव अभिभाषक वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं0 01 डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बह विवादित आराजी ख. नं. 1755 रकवा 1-13 विस्वा स्थित ग्राम खुडिला का पुरा तहसील राजाखेडा पर वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा न करें तथा नहीं कोई रास्ता निर्माण करें। मौके पर स्थित बनाये रखे।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.12.2019 को जारी की गई।

  
(सन्तोष कुमार गोयल)  
उपखण्डाधिकारी  
राजाखेडा